झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रामगढ़

राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर
गोला रोड़, रामगढ़ कैंट
ssa_ramgarh@rediffmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक–SSA-R/26-27/893 दिनांक–24/07/2026

आम–सूचना

RTE 2009 की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत 25% सीट में नामांकन से संबंधित।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत जिला के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में 25% सीट पर अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाना है। 25% कोटि में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन कार्यालय पोर्टल www.rteramgarh.in पर ***दिनांक 25.07.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से 08.08.2026 के अपराह्न 05:00 बजे*** तक भरा जायेगा एवं माता–पिता/अभिभावक भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों ***(जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, BPL कार्ड आदि)*** को स्वअभिप्रमाणित करते हुए संबंधित ***प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) में दिनांक 10.08.2026*** के अपराह्न 03:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। गलत प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता–पिता/अभिभावक की होगी। माता–पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन एवं अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की समुचित जाँचोपरांत तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु विद्यालय का नाम, रिक्त सीट, योग्यता एवं आवेदन करने संबंधी विस्तृत जानकारी www.rteramgarh.in एवं जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.ramgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,रामगढ।

ज्ञापांक–SSA-R/26-27/893 रामगढ़, दिनांक 24/07/2026

प्रतिलिपि :– 1. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जिला–रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त आम सूचना कम से कम तीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

2. M/S Bitsphere, Kadru, Ranchi, Design & Development Agency RTE Portal, Ramgarh को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. उपायुक्त, रामगढ़ की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,रामगढ।

JHARKHAND EDUCATION PROJECT, RAMGARH

Enrollment Under RTE 2009 Section, 12(1)(C) 2026-27

Sl. No.	Name of School	Name of Block	Entry class	Total capacity	25% of intake capacity	Addmission Taken Under RTE of 12(1)(C) in 2026-27 (1st Phase)	Addmission Taken Under RTE of 12(1)(C) in 2025-26 (2nd Phase)	Remaining Seat	Remarks
1	Holy Cross School Ghatotand	Mandu	Nur.	40	10	0	4	6	
2	Sarvoday Niketan, Kuju, Ramgarh	Mandu	Nur.	25	6	0	3	3	
3	Bal Vidya Mandir Ara Kuju	Mandu	L.K.G	15	4	0	3	1	
4	DAV Public School Kedla	Mandu	L.K.G	10	4	2	0	2	
5	DAV Public School, Tapin	Mandu	Nur.	20	5	0	1	4	
6	Saraswati Vidya Mandir, Kundaria	Mandu	L.K.G	24	6	1	1	4	
7	DAV Public School Topa Colliary Sarubera Mandu	Mandu	Nur.	12	3	1	1	1	
8	O.P Jindal School, Patratu	Patratu	Nur.	36	9	2	1	6	
9	Patratu School of Economics PTPS	Patratu	I	30	8	1	0	7	
10	Saraswati Vidya Mandir, Patratu Bazar	Patratu	L.K.G	20	5	0	0	5	
11	Saraswati Shishu Mandir, Patratu Tharmal (PTPS)	Patratu	Nur.	25	6	1	0	5	
12	Shree Agrasen School, Patelnagar Bhurkunda	Patratu	Nur.	32	8	0	0	8	
13	Sri Krishna Vidya Mandir Vikash nagar Ramgarh Cantt.	Ramgarh	Nur.	30	8	0	3	5	
14	Radha Govind Public School	Ramgarh	L.K.G	40	10	0	5	5	
Grand Total				**603**	**153**	**66**	**25**	**62**	

24/07/26.

23/7/26

DSE-cum-UDPO,
JEP, Ramgarh.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्रायगिक शिक्षा निदेशालय)

-:अधिसूचना:-

रांची/दिनांक – 16.02.2016

सं.सं-8/स्था 1-29/2011.....239 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चो को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत कार्यवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है-

1. अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों, में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है। पड़ोस से तात्पर्य है, विद्यालय के 1 कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चे। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते है तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चो का नामांकन किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो 6 कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा।

2. अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे ।

3. कमजोर वर्ग से तात्पर्य है ऐसे बच्चे, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हो और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000/- से कम हो।

4. अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चो के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000/- से कम हो।

5. विद्यालय के पास पड़ोस की दुरी सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगे:-

(i) आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र

(ii) ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

(iii) राशन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ बिजली बिल जिसमे पालक/अभिभावक का निवास का पता अंकित हो।

6. अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरुप निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होगे-

(i) अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिवावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।

(ii) 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र द्वारा जारी विल्लांगता प्रमाण-पत्र।

(iii) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र।